

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना


संख्या-एसीस-01/नि0-83/2013- 241

पटना, दिनांक- 15.03.18

विभागीय अधिसूचना संख्या-1/क०रा०बी०यो०स्था०-08/16 श्र०सं०-186, दिनांक-01.12.17 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय/कार्यालय में निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को संबंधित चिकित्सालय का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी धोषित किया गया था किन्तु चिकित्सालय/कार्यालय में कार्य करने की तिथि/कार्यदिवस निर्धारित नहीं रहने के कारण चिकित्सकों को कठिनाई हो रही है। अतः उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य करने की कार्यदिवस निर्धारित की जाती है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अतिरिक्त उक्त कार्य दिवस को संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी मरीजों के चिकित्सा सुविधा, बीमारी हितलाभ प्रमाण पत्रों का निर्गत, व्यादेशित औषधियों का कार्य, औषधियों की तिथि अवसानित न हो पाये इसका ध्यान रखना तथा कार्यालय के आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने का कार्य करेंगे।

क्र०	वर्तमान पदस्थापन सहित पदाधिकारी का नाम	अतिरिक्त कार्यस्थल	कार्यदिवस की निर्धारित तिथि
1	डा० राम विनय प्रसाद, प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय जमालरोड (श्री कृष्णानगर), पटना	क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं मुजफ्फरपुर चिकित्सालय	प्रत्येक शनिवार
2	डा० मणिपाल चौधरी, उपाधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाथीदह, पटना	प्रत्येक बुद्धवार
3	डा० वीरेन्द्र कुमार ठाकुर, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमालरोड (श्री कृष्णानगर), पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहारशरीफ	प्रत्येक बुद्धवार
4	डा० शशिशेखर सिंह, प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय मुंगेर	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भागलपुर	प्रत्येक बुद्धवार


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


15.3.18
(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

संख्या-एसीस-01/नि0-83/2013- 241

पटना, दिनांक- 15.03.18

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15.3.18
सरकार के अवर सचिव